स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

निर्मल राजस्थान

यू.ओ. नोट

विषय :– **ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों/निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषको के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रावधान हेतु।**

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के माध्यम से राजकीय कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मचारियों/निश्चित मानदेय प्राप्त करने वाले कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषको के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आप अपने विभाग में ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं/प्रेरकों/उचित मूल्य के दुकानदारों/बड़े कृषि ऋण लेने वाले कृषकों के द्वारा उनके निजी घरो में शौचालय की उपलब्धता एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शौचालय का उपयोग के सम्बन्ध में सलग्न प्रपत्र में उद्घोषणा प्राप्त किया जावे। यदि उनके घर में स्वच्छ शौचालय नही है तो उन्हें 30 जून 2015 से पूर्व शौचालय का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित कर उसी आधार पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि, मानदेय, ऋण आदि स्वीकृत किया जावे तथा प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

(सी.एस. राजन)
मुख्य सचिव, राजस्थान

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार 4 उद्घोषणा प्रपत्र :–**

(क) **अति. मुख्य सचिव**– 1.कृषि,पशुपालन,मत्स्य एवं गोपालन विभाग 2. पर्यावरण एवं वन 3. गृह 4. नगरीय विकास एवं आवासन 5. प्रशासनिक सुधार,समन्वय,जन–अभियोग निराकरण 6. महिला एवं बाल विकास एवं आयुर्वेद 7. अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ बोर्ड विभाग 8. दिल्ली–मुम्बई ओद्योगिक कोरिडोर 9. संस्कृत शिक्षा 10. उद्यानिकी विभाग

(ख) **प्रमुख शासन सचिव**– 1. जन स्वास्थ अभियान्त्रिकी 2. सामान्य प्रशासन, मंत्रिमण्डल सचिवालय सम्पदा एवं स्टेट मोटर गैरेज विभाग 3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 4. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज 5. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति 6. जनजाति क्षेत्रीय विकास 7. लघु उद्योग,खादी एवं ग्रामोद्योग 8. चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं खेल एवं युवा मामले 9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,सामाजिक सुरक्षा 10. सहकारिता 11. पर्यटन विभाग एवं साहित्य कला एवं संस्कृति 12. वित्त एवं कर, आबकारी, कोष एवं लेखा, पंजीयन एवं मुद्रांक, मार्गोपाय, पेंशन, लोकल फण्ड ऑडिट, निरीक्षण बीमा, प्रावधायी निधि, गंगानगर शुगर मिल 13. खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले 14. प्रारंभिक शिक्षा 15. स्वायत्त शासन 16. खान एवं पैट्रोलियम, एवं राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड 17. सार्वजनिक निर्माण विभाग, अध्यक्ष–राजस्थान सड़क विकास निगम 18. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन विभाग 19. उद्योग एवं राजकीय उपक्रम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम एवं अप्रवासी भारतीय 20. विधि एवं विधिक कार्य एवं न्याय विभाग कम विधि परामर्शी एवं संसदीय मामलात विभाग 21. उर्जा।